सं. ए-43011/22/2013-स्था.
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग
*****

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांकः- 6 जुलाई, 2026.

कार्यालय आदेश

इस विभाग के दिनांक 03.06.2026 के समसंख्यक कार्यालय आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, डॉ. साधना श्रीवास्तव, उप निदेशक को श्रीमती के. महेंद्रन, अवर सचिव के स्थान पर महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत गठित इस विभाग की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का सदस्य नियुक्त किया जाता है।

6/7/26

(बाल कृष्ण ठाकुर)
अवर सचिव, भारत सरकार।

प्रतिलिपि:

1. सुश्री रुचि शर्मा, निदेशक और अध्यक्ष, आईसीसी, उपभोक्ता मामले विभाग।
2. श्रीमती के. महेंद्रन, अवर सचिव/ डॉ. साधना श्रीवास्तव, उप निदेशक।
3. आईसीसी, उपभोक्ता मामले विभाग के सभी सदस्य।
4. सचिव (उ.मा.) के प्रधान स्टाफ अधिकारी/अपर सचिव (आरएम) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
5. विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को ई-ऑफिस के केएमएस के माध्यम से।
6. एनआईसी प्रभाग से अनुरोध है कि इस कार्यालय आदेश को विभाग की वेबसाइट पर **तत्काल** अपलोड करें।

सं. ए-43011/22/2013-स्था.
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग
*****

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 3 जून, 2026

कार्यालय आदेश

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत इस विभाग की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:

i. सुश्री रुचि शर्मा, निदेशक - **अध्यक्ष**
ii. श्रीमती कल्याणी राज, अध्यक्ष, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (एआईडब्ल्यूसी) - सदस्य (एनजीओ प्रतिनिधि)
iii. श्रीमती के. महेंद्रन, अवर सचिव - सदस्य
iv. श्री प्रसन कुमार नंदा, अवर सचिव - सदस्य
v. श्री अमित कुमार, अवर सचिव - सदस्य
vi. श्रीमती अनीता कादयान, अनुभाग अधिकारी - **सदस्य सचिव**

2. आईसीसी इस विभाग में महिला प्रकोष्ठ के रूप में भी कार्य करेगी, जो व्यापक रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करेगी:

(क) विभाग में महिला कर्मचारियों की कार्य स्थितियों में सुधार के लिए की गई कार्रवाई में भाग लेना और समन्वय करना;
(ख) महिला कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों पर ध्यान देना और उन पर शीघ्र कार्रवाई करना;
(ग) महिला कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित अन्य सामान्य क्षेत्र।

3. आईसीसी को महिला कर्मचारियों द्वारा उठाई गई शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध तरीके से उनका निपटान सुनिश्चित करना चाहिए। यह विभाग को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है जिसमें उनके द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण हो।

4. विभाग की महिला कर्मचारी अपने कार्य परिस्थितियों आदि में सुधार के संबंध में उपर्युक्त महिला प्रकोष्ठ को सुझाव दे सकती हैं।

5. शिकायत न होने पर भी आईसीसी तिमाही में एक बार बैठक कर सकती है और समय-समय पर विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी समस्याओं को समझने और समाधान खोजने के उद्देश्य से बातचीत भी कर सकती है।

6. यह आदेश इस विभाग द्वारा जारी आईसीसी के गठन के सभी पिछले आदेशों का अधिक्रमण करता है।

(बाल कृष्ण ठाकुर)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपिः-

1. आईसीसी, उपभोक्ता मामले विभाग की अध्यक्ष और सभी सदस्य।
2. सचिव (उ.मा.) के प्रधान स्टाफ अधिकारी/ अपर सचिव (आर.एम.) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/ अपर सचिव (ए.एम.) के प्रधान निजी सचिव/ आर्थिक सलाहकार के प्रधान निजी सचिव/सलाहकार (लागत) के प्रधान निजी सचिव।
3. ई-ऑफिस के नोटिस बोर्ड के माध्यम से विभाग के सभी अधिकारी/कर्मचारी।
4. एनआईसी प्रभाग को इस कार्यालय आदेश को **तत्काल** प्रभाव से वेबसाइट पर उपलोड करने के अनुरोध के साथ।